


सार्वजनिक सूचना

आप सभी सक्रिय मछुआरों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली से दिनांक 20/03/2020 के आदेश सं०30035/15/97-FY(I-1)-Vol V एवं मत्स्योद्योग अधीक्षक, दमण के दिनांक 05/05/2020 पत्र सं० SFD/322 (FB)/2018-19 30 के तहत वेस्ट कोस्ट के तटीय विस्तार में दिनांक 01/06/2020 से 31/07/2020 अवधि तक समुद्र में फिशिंग करने पर प्रतिबंध (FISHING BAN) लगाया गया है, जिससे की मत्स्यिकी (Fishery) संपत्ति का संरक्षण एवं प्रभावकारी प्रबंध किया जाए और मछुआरों की सलामति हो सके। यह समय के दौरान मछली की उत्पत्ति बढ़ती है और मछली का विकास होने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए यह प्रतिबंध आवश्यक है जो अनन्य आर्थिक जोन (Exclusive Economic Zone) और प्रादेशिक/क्षेत्रीय जल सीमा (Territorial Waters) में भी लागू होता है। इसलिए इस अवधि तक समुद्र में फिशिंग करने की सख्त मनाई की जाती है।

उपरोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए यह भी बताया जाता है कि वर्षा ऋतु के समय दमण-दीव और गुजरात राज्य के तटीय क्षेत्रों में समुद्र की तूफानी लहरे एवं हवा तेज चलती है जिसके कारण मछुआरों की नाव, जाल वगैरे का भारी नुकसान देखा जाता है, इसलिए दीव जिले के मछुआरों एवं फिशिंग नावों की सलामति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिनांक 01/06/2020 से 15/08/2020 तक खराब समुद्री हवामान के कारण माछीमारी के लिए प्रतिकूल मौसम (Fishing Off-Season) बताया जाता है ताकि मछुआरों की जान-माल का नुकसान से बचा जा सके। इसलिए आप सभी मछुआरों को सूचित किया जाता है इस अवधि में कोई भी मछुआरे समुद्र में फिशिंग करने न जाए एवं अपनी नाव को समुद्र में न भेजे।

उपरोक्त सूचना का आप सख्ती से पालन करें अन्यथा सरकारी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


(सुकर आजनी)

सहायक मत्स्योद्योग अधीक्षक,
दीव

सेवा में,

1. अध्यक्ष, दीव नगरपालिका परिषद, दीव }
2. अध्यक्ष, दीव जिल्ला पंचायत, दीव } सूचनार्थ एवं
3. सरपंच, ग्राम पंचायत, वनाकबारा, सातदवाडी बुधरवाडा, जोलावाडी }
4. प्रमुखश्री, दीव जिला फिशरमेन एसोशियेशन, वनाकबारा } अधिकतम
5. प्रमुख श्री, दीव जिला के सभी मत्स्य को-ऑपरेटिव सोसायटी, } प्रचार-प्रसार हेतु
6. अध्यक्ष, मछुआरा संघ, वनाकबारा, धोधला, दीव } प्रेषित है।
7. अध्यक्ष, मछुआरा समुदाय, वनाकबारा, धोधला, दीव }

प्रतिलिपि प्रेषित -

1. माननीय समाहर्ता, समाहर्तालय, दीव } जानकारी हेतु।
2. सब डिविजनल पुलिस अधिकारी, दीव }
3. मत्स्योद्योग अधीक्षक, दमण }
4. बदरगाह अधिकारी, दीव } जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
5. कोस्टल पुलिस, दीव }